



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273704
CG-DL-E-22062026-273704

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3145]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3145]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्य पालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2026

का.आ. 3271(अ).— केंद्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 के उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 42) के संबंध में, उक्त अधिनियम की अनुसूची के क्रम संख्या 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. जे.19001 /1/2020 मा./इ-16329]

डॉ. सुरभि राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Fisheries)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th June, 2026

S.O. 3271(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026* (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 45 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981 (42 of 1981), shall come into force.

[F. No. j-19001/1/2020-Fy /E-16329]

Dr. SURABHI RAI, Jt. Secy.